Scientific Rights Research - Part Two

वैज्ञानिक मानवाधिकार शोध - भाग दो

LAND DISPUTE TO REVOLUTION

भूमि विवाद से क्रांति

मेरी भूमि होकर बनाई गई सड़क का मुआवजा देना होगा, नहीं तो सड़क को तोड़वा देना होगा।

डॉ० सुरेन्द्र (7033265697, 9430639102)
वैज्ञानिक व किसान
ग्राम व पोस्ट देवकुलीधाम
थाना व अंचल बिरौल, जिला दरभंगा (बिहार)

जुलाई 27, 2020

सेवा में

जिलाधिकारी, दरभंगा।

महाशय,

सबसे पहले यह जान लें कि न्यायालय सहित राज्य के सभी अधिकारियों की शक्ति सीमित होती है। इसलिए न्यायालय में झूठ बोलकर वर्तमान विधि-व्यवस्था को बनाए रखना असम्भव है। यानी प्रत्येक जिलावासी के लिए खुला है कि अपने मौलिक अधिकार व कर्तव्य का प्रयोग कर वर्तमान विधि-व्यवस्था को बदलें जिसको स्वीकार करने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन बाध्य है।

अब जानें कि बिहार सरकार का आदेश है कि बिना भूस्वामी की अनुमति लिए, उनकी भूमि होकर सड़क नहीं बनेगी। मगर इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मेरी रैयत भूमि होकर सड़क बनवाया - पैकेज न० BR-10R-045, PWD सड़क से दहमा तक, ग्राम देवकुलीधाम, अंचल बिरौल। मेरे विरोध करने पर उन्होंने सीओ,

बिरौल से सांठगांठ कर लिया और झूठा जवाब आपको तथा न्यायालय को दिया कि वह भूमि मेरी नहीं है, मेरे विरोधी की है -- देखें आपको लिखे कार्यपालक अभियंता का पत्र दिनांक 02-02 -2011,पत्रांक 81(अनु) और पटना हाईकोर्ट में मेरी रिट याचिका (CWJC No.19443/2010) के विरूद्ध दायर हलफनामा। भूस्वामी की पहचान करना आवश्यक था, मगर ऐसा नहीं किया गया और झूठ का सहारा लिया गया।

चूंकि मैंने अपनी विवादित भूमि पर क्रांति पैदा की है, विधि-व्यवस्था को बदल दी है और इसकी सूचना आपको दे दी है (देखें संलग्न मेरा पत्र दि० 20-7-2020, जिसका विषय या शीर्षक है "मेरी विवादित भूमि से हिंसा हटाने के लिए"), इसलिए मेरे विरोधियों के जवाब का प्रतिकूल प्रभाव मेरे भूस्वामित्व पर नहीं पड़ता है। वह विवादित भूमि मेरी है और मेरी रहेगी, क्योंकि उस विवादित भूमि पर मेरा फैसला अंतिम है और उसका सत्यापन (verification) सक्षम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से किया जा सकता है। यह भी जान लें कि किसी भी जिलावासी के मौलिक अधिकार व कर्तव्य को कोई न्यायालय कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए भारतीय संविधान के अंदर विधि-व्यवस्था बदलाव करने में कोई रोक नहीं है।

इस क्रान्ति के मद्देनजर बिहार सरकार को कथित सड़कवाली भूमि का मुआवजा देना होगा, नहीं तो उस अवैध सड़क को तोड़वा देना होगा। आपको मेरी इच्छा के विरुद्ध जाने की स्वेच्छा या शक्ति नहीं है, अन्यथा आप दमन व हिंसा के दोषी हैं। शांति के साथ विकास तभी होगा, जब आप विधि-व्यवस्था पालन करने व करवाने में मनमानी नहीं करेंगे और अपने को किसी भी जिलावासी के मौलिक अधिकार व कर्तव्य से ऊपर नहीं मानेंगे। हमेशा ध्यान में रखें कि विकास का मतलब है विधि-व्यवस्था

बदलाव, जो संवैधानिक होगा, नागरिक के मौलिक अधिकार व कर्तव्य पर आधारित होगा।

भवदीय

अनुलग्नक: यथोपरि (डॉ० सुरेन्द्र)

मेरी विवादित भूमि से हिंसा हटाने के लिए

डॉ० सुरेन्द्र (7033265697, 9430639102) जुलाई 20, 2020
वैज्ञानिक व किसान
ग्राम व पोस्ट देवकुलीधाम
थाना व अंचल बिरौल, जिला दरभंगा (बिहार)

सेवा में

जिलाधिकारी, दरभंगा।

महाशय,

बिरौल अंचल अंतर्गत देवकुलीधाम गांव में मेरी विवादित भूमि (पुराना खेसरा न० 1277 व 1313 से 1317, रकबा 4 बीघा या 3.49 एकड़, PWD सड़क से सटे उत्तर) पर सीओ, बिरौल को फैसला लेना था कि किस पक्ष को न्यायालय जाना है और किस पक्ष को उस विवादित भूमि का जोत-आबाद करना है। मगर सीओ ने यह फैसला लेने से इनकार कर दिया, जबकि वे दोनों पक्षों (मुझे और मेरे विरोधी) को दिनांक 23.11.2019 को बिरौल थाना पर लगे जनता दरबार में सुना।

सीओ की मनमानी से उत्साहित होकर या उनसे सांठ-गांठ कर मेरे विरोधी (रमेश कुमार राय) ने दिनांक 22-12-2019 को सीओ कार्यालय में उस विवादित भूमि का दाखिल खारिज करने के लिए एक आवेदन ऑनलाइन दे दिया (याचिका संख्या 4472)। सीओ ने उस आवेदन को राजस्व कर्मचारी के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। जब मुझे इसकी जानकारी मिली, तब मैंने उस कर्मचारी से कहा कि सीओ साहब को बता दें कि उस विवादित भूमि का दाखिल खारिज मेरे नाम से किया हुआ है और उस भूमि की मालगुजारी (लगान, रेंट) मैं सरकार को करीब तीस वर्षों से देता आ रहा हूं, जिसका जमाबंदी नं० 564 है। उतना ही नहीं, उस भूमि का सर्वे व सेटलमेंट (survey & settlement) मेरे नाम से किया हुआ है और मेरे विरोधी के परिवार की आपत्ति अस्वीकृत है, जिसके लिए देखें आपत्ति संख्या 491/1984, रामयारी राय वगैरह बनाम डॉ०सुरेन्द्र ना०राय। वह विवादित भूमि मेरी है, जिसका अनेकों सबूत (प्रमाण) उपलब्ध हैं और वे बिरौल सीओ कार्यालय तथा दरभंगा अपर समाहर्त्ता कार्यालय में देखे जा सकते हैं। उन सबूतों का जन वितरण भी हुआ है।

सबूतों के आधार पर फैसला यह होना था कि उपरोक्त विवादित भूमि का जोत-आबाद मुझे (डॉ० सुरेन्द्र को) करना है और मेरे विरोधी (रमेश या कोई अन्य) को सक्षम न्यायालय जाना है। मगर यह फैसला करने से सीओ ने इनकार किया, जिससे भ्रष्टाचार व हिंसा को बढ़ावा मिला। इसलिए आपसे बता देना चाहता हूं कि मेरी वैज्ञानिक सह मौलिक ड्यूटी के दौरान कथित भूमि पर भी क्रांति पैदा हुई है, जिसका आदर करने के लिए जिला प्रशासन, दरभंगा बाध्य है। क्रांति का मतलब है कि

चर्चित भूमि विवाद पर मेरा फैसला अंतिम है, जिसका सत्यापन (verification) सक्षम न्यायालय से किया जा सकता है।

इस क्रांति को आसानी से समझने के लिए देखें संलग्न लेख जिसका शीर्षक है "इस क्रांति पर ध्यान दें और सबलोग विकास करें"। जिला प्रशासन व जनता यानी सबको यह जान लेना है कि बिना क्रांति पैदा किए, बिना विधि-व्यवस्था बदले, समानता नहीं मिलती है और पूरा विकास नहीं होता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नागरिक या वैज्ञानिक के मौलिक अधिकार व कर्तव्य के विरुद्ध जाने की शक्ति न्यायालय सहित राज्य के किसी भी अधिकारी में नहीं होती है।

`

भवदीय

यथोपरि अनुलग्नक:

(डॉ० सुरेन्द्र)

इस क्रांति पर ध्यान दें और सबलोग विकास करें।

भारतीय समाज में जनहित का प्रश्न यह उठा है कि मोदीजी सरकार का सीएए (Citizenship Amendment Act, 2019) संवैधानिक है या असंवैधानिक। इस प्रश्न के उत्तर पर सरकार व जनता दोनों का मत एक नहीं है। इसलिए इस प्रश्न पर फैसला प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में करीब 150 आवेदन पड़ा हुआ है।

सरकार का कहना है कि सीएए संवैधानिक है। मगर अधिकांश जनता का कहना है कि सीएए असंवैधानिक है, क्योंकि वह मुसलमानों के साथ धर्म (मजहब) के आधार पर भेदभाव करता है।

मेरी वैज्ञानिक खोज से यह हल (समाधान) निकला है कि सीएए संवैधानिक है, क्योंकि बिना धर्मों या मजहबों का प्राकृतिक वर्गीकरण (natural classification) किए सबको समानता या न्याय देना असंभव है, यानी सर्वोदय (आदर्श समाज व्यवस्था) प्राप्त करना असंभव है, जिसकी कल्पना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में की गई है। यह वैज्ञानिक हल (या फैसला) प्राकृतिक कानून (सर्वमान्य सिद्धांत) पर आधारित है, जिसका उल्लंघन कर सभी मजहबों के सभी लोगों को समानता या न्याय देना असंभव है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वैज्ञानिक हल या फैसला सरकार व जनता दोनों पर बाध्यकारी है। कोई भी न्यायालय इस फैसला से ऊपर नहीं है। इसे कानूनी या संवैधानिक क्रांति कहना उचित होगा, क्योंकि इससे वर्तमान विधि-व्यवस्था का संवैधानिक विकल्प निकलता है, जो पुलिस तथा जिला प्रशासन की मनमानी पर अंकुश लगाता है और भारत के प्रत्येक जिला का सर्वांगीण विकास करता है। दरअसल बिना धार्मिक भेदभाव के यह क्रांति प्रत्येक जिलावासी के संवैधानिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक विकास का मार्ग खोलता है।

इस क्रांति की गहराई में जाने के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाकर पढ़ें—सीएए विवाद (CAA Dispute):

वेबसाइट: contact@consciouscitizenforum.org .

लेखक: डॉ. सुरेन्द्र, भूवैज्ञानिक, आईआईटी (आईएसएम), धनबाद-826004 (झारखंड), भारत (मो० 7033265697).